5 रु. भारत पाँच रुपये · 5 रु. भारत पाँच रुपये · 5 रु. भारत पाँच रुपये · 5 रु. भारत पाँच रुपये · 5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA Rs.5 FIVE RUPEES

149

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिव्यु - 9004 - I-16

प्रकरण क्र. .... /2016/रिव्यु

वीरसिंह जादौन अभि.
द्वारा आज दि. 29-1-16 को
प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 29-1-16

वीरसिंह जादौन
एड.
श्योपुर (म.प्र.)

जाकिर पुत्र कमाल खॉ मुसलमान ग्राम बालापुरा तहसली व जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

.........आवेदक

बनाम

1. सुरेश पुत्र शिवचरण तिवारी
2. श्रीमती उर्मिला बेबा रमेश चन्द्र तिवारी
3. कुमारी आशा पुत्री रमेश चन्द्र तिवारी
4. कुमारी सोनम पुत्री रमेश चन्द्र तिवारी
5. प्रियंका कुमारी पुत्री रमेश चन्द्र तिवारी
6. हेमन्त कुमार पुत्र रमेश चन्द्र तिवारी निवाजी मैन बाजार श्योपुर जिला श्योपुर मध्यप्रदेश

............अनावेदकगण

पुर्नाविलोकन विरुद्ध आदेश दिनांक 07/01/2016 न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के माननीय सदस्य श्रीमान एम.के.सिंह प्रकरण क्रमांक 582 –दो 2015 पुर्नाविलोकन अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू. राजस्व संहिता।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 9007–एक/2016 पुनरावलोकन जिला श्योपुर

... तथा ...	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.6.16	यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य, राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 582–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 7–1–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन के तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री बीरसिंह जादौन तथा अनावेकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि कस्बा श्योपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1559 रकबा 4 वीघा 3 विसवा आवेदक के पिता कमला खॉ जाति गद्दी के नाम पर राजस्व अभिलेख में अंकित रही है परन्तु अनावेदकगण ने खसरा पंचशाला में उनके नाम की फर्जी प्रविष्टि करा ली। इस फर्जी प्रविष्टि के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 145/10–11 प्रस्तुत की गई एंव भूमि खुर्द–बुर्द न होने पावे , इस उद्धेश्य से संहिता की धारा–52 का आवेदन देकर स्थगन की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 4–5–10 को प्रस्तुत की गई अपील में कोई सुनवाई नहीं की गई, तब मजबूरी में शीध्र सुनवाई का दिनांक 16–3–15 को आवेदन दिया	

गया, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने शीध्र सुनवाई न करके 9-4-15 की पेशी लगा दी। अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 16-3-15 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी कमांक 582-दो/15 प्रस्तुत कर शीध्र निर्णय कराने की अपेक्षा की गई थी परन्तु कस्वा श्योपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1559 रकबा 4 वीघा 3 विसवा मामलों में विवादित होने के वाद भी अनावेदकगण ने भूमि के अंश भाग को विकय कर दिया, एंव अनुविभागीय अधिकारी व्दारा विलम्ब करने के कारण तथा स्थगन न देने के कारण मामले में और पेचीदिगियॉ बढ़ गई। उन्होंने आदेश दिनांक 7-1-15 की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये बताया कि इस आदेश को पारित करते समय अनावेदकगण के भूमि को विकय करने की नीयत ताड़ने में तथा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा न्यायदान में जानबूझकर विलम्ब करने का तथ्य न्यायालय के विचार से ओझल होने के कारण निगरानी निरस्त करने में भूल हुई है जिसे न्यायदान के लिये सुधारा जाना चाहिये।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने पुनरावलोकन बेआधार होना बताते हुये आदेश दिनांक 7-1-15 में हस्तक्षेप न करने का निवेदन किया ।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार कियागया। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष आवेदक ने प्रथम अपील दिनांक 4-5-10 को प्रस्तुत की है तथा शीध्र सुनवाई का आवेदन 16-3-15 को प्रस्तुत किया है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 9007–एक/2016 पुनरावलोकन जिला श्योपुर

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने न्यायदान में तत्परता न दिखाते हुये अपील के निराकरण में अनुचित विलम्ब किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड उनकी तहसील में ही मौजूद रहा है और इसी विलम्ब का अनुचित लाभ उठाते हुये संभवतः अनावेदकगण ने दो भूखंडों का विक्रय किया है। हालॉकि विक्रीत भूखंडों के अंतरण पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 से आवेदक के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार सुरक्षित हैं परन्तु इसे नजरन्दाज नहीं किया जा सकता कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण के निराकरण में अतिविलम्ब किया है जिसके कारण आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संहिता की धारा 52 के अंतर्गत दिये गये आवेदन पर अनुतोष पाने का पात्र है और न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 582–दो/2015 में आदेश दिनांक 7–1–16 पारित करते समय इस तथ्य पर गौर न करने में भूल हुई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण क्रमांक 582–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 7–1–16 एंव अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 145/10–11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16–3–15 निरस्त किये जाते हैं तथा आगामी 90 दिवस तक वाद विचारित भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने एंव

XXXIx(a)BR(H)-11

-5-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 9007–एक/2016 पुनरावलोकन जिला श्योपुर

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार/अभिभाषक हस्ताक्षर
	इसी अवधि के बीच उभय पक्ष को सुनकर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को प्रकरण क्रमांक 145/10-11 अपील के अंतिम निराकरण के निर्देश दिये जाते हैं। तदनुसार पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है। सदस्य	